न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—219/2017/225 (2017/00219)

1. वासुदेव टिलवानी पुत्र विशनदास टिलवानी, जाति सिन्धी, निवासी बी.के. कॉल नगर, अजमेर, तहसील व जिला अजमेर ।
2. मोहनलाल पुत्र कुन्दनमल बरलानी, जाति सिन्धी, निवासी अनूप पोल्ट्री फॉर्म, ग्राम हाथीखेड़ा, तहसील व जिला अजमेर ।

अपीलांट्स

बनाम

1. श्रीमती दाखू पत्नि स्व0 भंवरा,
2. लक्ष्मणसिंह पुत्र स्व0 भंवरा,
3. हीरासिंह पुत्र स्व0 भंवरा,
4. श्रीमती तारा पुत्री स्व0 भंवरा,
5. श्रीमती नर्बदा पुत्री स्व0 भंवरा,
6. श्रीमती लक्ष्मी पुत्री स्व0 भंवरा,
7. श्रीमती आशा पुत्री स्व0 भंवरा,
8. श्रीमती नानी पुत्री स्व0 भंवरा,
   समस्त जाति रावत, निवासी हाथीखेड़ा, तह0 व जिला अजमेर ।
9. बीरम पुत्र मोटा,
10. बलवीर पुत्र बरदा,
11. जगमाल पुत्र बरदा,
    जाति रावत, निवासी हाथीखेड़ा, तह0 व जिला अजमेर ।
12. श्रीमती चूका पत्नि रूपा पुत्री बरदा, जाति रावत, निवासी ग्राम किशनपुरा गोवलिया, तहसील पुष्कर, जिला अजमेर ।
13. श्रीमती भंवरी पत्नि रतना पुत्री बरदा, जाति रावत, निवासी भूडोल, तह0 व जिला अजमेर ।
14. श्रीमती ऐवा पत्नि सायर पुत्री बरदा, जाति रावत, निवासी मानसिंह होटल के पीछे, वैशाली नगर, अजमेर ।
15. श्रीमती कमला पत्नि मल्ला पुत्री बरदा, जाति रावत, निवासी अखयपुरा, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर ।
16. मीरू पुत्री पांचू,
17. सायरसिंह पुत्र पांचू,
    जाति रावत, निवासी हाथीखेड़ा, तहसील व जिला अजमेर ।
18. श्रीमती नोसरी पत्नि कालू पुत्री पांचू, जाति रावत, निवासी मुहामी, तह0 व जिला अजमेर ।
19. भगवती पत्नि खेमसिंह पुत्री पांचू, जाति रावत, निवासी मदारपुरा, तहसील व जिला अजमेर ।
20. गुमान पुत्र कंवरा, जाति रावत, निवासी हाथीखेड़ा, तह0 व जिला अजमेर।
21. श्रीमती गोरधनी पत्नि रतनसिंह पुत्री कंवरा, जाति रावत, निवासी गुढ़ा तहसील व जिला अजमेर ।
22. श्रीमती कमला पत्नि शंकरसिंह पुत्री कंवरा, जाति रावत, निवासी पालरा, तहसील व जिला अजमेर ।
23. श्रीमती गीता पत्नि लाडूसिंह पुत्री कंवरा, जाति रावत, निवासी भवानीखेड़ा तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।
24. श्रीमती मीरा पत्नि नानूसिंह पुत्री कंवरा जाति रावत, निवासी हाथीपट्टा, उप—तहसील श्रीनगर जिला अजमेर ।

25. धीरा पुत्र गुल्ला, जाति रावत, निवासी हाथीखेड़ा, तह0 व जिला अजमेर।
26. श्रीमती रेखा पत्नि सुखदेवसिंह पुत्री छोटू, जाति रावत, निवासी बीर, तह0 व जिला अजमेर ।
27. उप पंजीयक, अजमेर ।
28. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ।

रेस्पोंडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर दिनांक 14.7.2017 अंतर्गत प्रकरण संख्या 106/2013.

उपस्थितः–

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील अपीलांटस ।
2. श्री मौहम्मद इकबाल, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 8.
3. रेस्पो0 संख्या 9 से 26 अनुपस्थित ।
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 27 व 28.

निर्णय

दिनांकः– 15.12.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 14.7.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 8 ने अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद वास्ते उद्घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रतिवादीगण/अपीलांटस एवं शेष रेस्पो0 के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम हाथीखेड़ा, तहसील व जिला अजमेर स्थित चौसाला खसरा नंबर 418 रकबा 2–1–00 जिसके वर्किंग खसरा नंबर 581 रकबा 0–10–00 के आधार खसरा नंबर 981 रकबा 0.05 है0 व 980/2621 रकबा 0.03 है0 तथा वर्किंग खसरा नंबर 582 रकबा 0–10–00 बीघा जिसके आधार खसरा नंबर 980/2622 रकबा 0.08 है0 एवं वर्किंग खसरा नंबर 583 रकबा 1–01–0 बीघा जिसके आधार खसरा नंबर 980 रकबा 0.08 है0, खसरा नंबर 982 रकबा 0.02 है0, 1034 रकबा 0.03 है0 तथा 1035 रकबा 0.04 है0 बनाये गये है, के चौसाला जमाबंदी के अनुसार 1/2 हिस्से के खातेदार गुल्ला पुत्र चतरा एवं 1/2 हिस्से के खातेदार हरजी पुत्र चतरा थे लेकिन बंदोबस्त विभाग द्वारा वर्किंग जमाबंदी में वर्किंग खसरा नंबर 581 पांचू (प्रतिवादी संख्या 10 से 13 के पूर्वज) के नाम तथा खसरा नंबर 582 बीरमा प्रतिवादी संख्या 3 तथा बरदा (प्रतिवादी संख्या 4 से 9 के पूर्वज) के नाम तथा खसरा नंबर 583 गुल्ला के वारिसान प्रतिवादी संख्या 14 लगायत 20 के नाम दर्ज कर दी गई जिनके द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2/अपीलांटस को जरिये पृथक पृथक विक्रय पत्रों के तहत विक्रय कर कब्जा व दखल प्रदान कर दिया जबकि वादग्रस्त आराजियात में 1/2 हिस्सा वादीगण का निहित है क्योंकि वादीगण हरजी पुत्र चतरा के वारिसान है । अन्त में 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित कर बंटवारा किया जाकर 1/2 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद करने का कथन किया । उक्त वाद के संलग्न अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर 1/2 हिस्सा भूमि पर रहन, बेचान, मुंतकिल करने एवं किसी प्रकार का दखल, व्यवधान एवं निर्माण कार्य नहीं करने हेतु ताफैसला वाद अस्थाई

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया । उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 27.12.2013 को दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये तत्पश्चात् दिनांक 8.12.2014 को प्रतिवादीगण/अपीलांट संख्या 1 लगायत 2 की ओर से अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ । तत्पश्चात् दिनांक 30.3.2015 को माननीय राजस्व मण्डल से पत्रावली प्राप्त हुई । तत्पश्चात् दिनांक 14.7.2017 को अस्थायी निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाना अंकित करते हुए मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेश पारित किये गये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने पर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । दिनांक 8.12.2014 को अपीलांटस की ओर से अधी0न्याया0 के समक्ष वकालतनामा प्रस्तुत किया गया था शेष प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 22 के नोटिस तामील होने अथवा नहीं होने, उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही करने अथवा अदम तामील आने पर नये नोटिस प्रस्तुत करने बाबत् आर्डरशीट में कोई अंकन नहीं है, ना ही जवाब प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत किये गये ना ही तामीलशुदा नोटिसों के पक्षकारान के जवाब प्रार्थना पत्र बंद किये गये । इस प्रकार पक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना कैम्प कोर्ट हाथीखेड़ा में पत्रावली ले जाकर व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेशात्मक प्रावधानों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है । उक्त पत्रावली दिनांक 14.7.2017 को ग्राम हाथीखेडा में राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 2017 में प्रस्तुत हुई जिस पर अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश को कन्फर्म किया जाकर ताफैसला मूल वाद मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित कर दिया जबकि मात्र लोक अदालत एवं उपखण्ड अधिकारी अजमेर के हस्ताक्षर है । लोक अदालत के शेष सदस्यगण के पदनाम, मोहर एवं हस्ताक्षर अंकित नहीं है । यही नहीं अध्यक्ष लोक अदालत की मोहर भी अंकित नहीं है जिससे उक्त आदेश अपूर्ण तथा अवैधानिक होकर निरस्तनीय है । वादग्रस्त आराजियात पर विगत 34 वर्षो में कभी भी वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 8 के नाम न तो खातेदारी हक से दर्ज रही है एव ना ही कभी वे काबिज रहे है । इस बाबत् वादीगण द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश नहीं किये गये जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के घटक वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 8 के पक्ष में साबित नहीं होने के बावजूद ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण/अपीलांटस को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अपीलांटस विवादित आराजियात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होकर काबिज है जिन्हें धारा 212 राज0काश्त0अधि0 की मंशा एवं सिद्धांतों के विपरीत पाबंद किया गया है । रेस्पो0 संख्या 1 से 8 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में 1/2 हिस्से बाबत् दादरसी चाही गयी थी जिसमें भी रिकार्ड बाबत् कोई अंकन नहीं होने के बावजूद अधी0न्याया0 ने प्रकरण की पत्रावली का अवलोकन किए बिना मात्र कयास के आधार पर गैर कानूनी रूप से संपूर्ण आराजियात बाबत् रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति के आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 8 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात चौसाला खसरा नंबर 418 रकबा 2–1–00 बीघा के खातेदार चौसाला जमाबंदी संवत् 2015 से 2018 के खाता नंबर 98 के अनुसार एवं चौसाला जमाबंदी संवत् 2019 से 2022 के अनुसार तथा अंतिम जमाबंदी संवत् 2023 से 2026 के खतौनी नंबर 94 के अनुसार खातेदार गुल्ला व हरजी पि0 चतरा थे । इस प्रकार प्रार्थना पत्र में दर्शायी भूमि के 1/2 हिस्सा के खातेदार गुल्ला एवं 1/2 हिस्सा के खातेदार हरजी थे । गुल्ला व हरजी का स्वर्गवास हो चुका है । हरजी पुत्र चतरा के वारिसान रेस्पो0 संख्या 1 से 8 है जिनका प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में दर्शायी भूमि में 1/2 हिस्सा होकर सहखातेदार है तथा शेष 1/2 हिस्से के खातेदार गुल्ला पुत्र चतरा के वारिसान अप्रार्थीगण संख्या 14 से 20 है । हरजी पुत्र चतरा का स्वर्गवास हो चुका है जिसका एक पुत्र भंवरा पुत्र हरजी का भी स्वर्गवास हो चुका है । इस प्रकार रेस्पो0 संख्या 1 से 8/प्रार्थीगण का विवादित आराजियात में 1/2 हिस्सा है जो पुश्तैनी आराजियात है । किन्तु वर्किंग जमाबंदी एवं वर्तमान जमाबंदी में भू–प्रबंध विभाग ने प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 8 का नाम दर्ज नहीं किया जो गलत इंद्राज है । अधी0न्याया0 के समक्ष मूल वाद वास्ते खातेदारी उद्घोषणा, बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का विचाराधीन है यदि उक्त वाद के विचाराधीन रहते अप्रार्थीगण/अपीलांटस द्वारा विवादित आराजियात का गलत इंद्राज के आधार पर अन्यंत्र बेचान, हस्तातंरण इत्यादि किया जाता है तो अपीलांट को अपूर्णीय क्षति होगी तथा और अधिक वाद बाहुल्यता बढ़ेगी । अधी0न्याया0 ने इन्हीं समस्त तथ्यों को ध्यान मे रखकर वाद के निस्तारण तक पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को वाद के निर्णय तक कन्फर्म किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थीगण/रेस्पो0 द्वारा दिनांक 27.12.2013 को प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 पेश किया गया किन्तु अधी0न्याया0 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं किये जाने से प्रार्थीगण/रेस्पो0 ने मान0राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के न्यायालय में निगरानी संख्या 2185/2014 पेश की । मान0 मण्डल ने दिनांक 20.2.2015 को आदेश पारित कर प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया कि "प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 अधिनियम बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा में उपस्थित पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र का आगामी दो माह में निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करे । विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् आदेश पारित किये जाने तक उभय पक्षकारान विवादित आराजी पर कोई निर्माण कार्य नहीं करेगें । " मान0 मण्डल के आदेशों के उपरांत प्रकरण प्राप्त होने पर अधी0न्याया0 ने प्रकरण को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 2017 में ग्राम हाथीखेड़ा में रखकर दिनांक 14.7.2017 को आदेश पारित किये कि " मान0 सदस्य राजस्व मण्डल अजमेर के प्रकरण संख्या 2185/2014 में पारित निर्णय दिनांक 22.2.2015 के परिपेक्ष्य में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाकर विवादग्रस्त आराजियात बाबत् उभयपक्ष को मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाता है ।" अधी0न्याया0 द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के प्रार्थना पत्र को निर्णित करने हेतु आवश्यक घटक यथा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों पर विवेचन, विश्लेषण किये बिना मात्र चार–पांच लाईन में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अधी0न्याया0 को पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं पर विस्तृत विवेचन विश्लेषण उपरांत प्रार्थना पत्र को निर्णित करना चाहिये था । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.7.2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 को यथाशीघ्र गुणावगुण पर निर्णित करे । प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के अंतिम निस्तारण तक उभयपक्ष को मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 15.12.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर